Memorandum of Settlement.

THIS MEMORANDUM OF SETTLEMENT is made the Twentyfifth day of October Nineteen hundred and sixtyeight BETWEEN His Highness Raja Anandchand of Bilaspur, Himachal Pradesh, (herein called "the Settlor) of the one part, and Rajkumari Rajeshwari of Bilaspur, the Child of the Settlor, (hereinafter called"the Child") of the other part.

WHEREAS the Settlor ~~ix~~ has been providing liberal voluntary allowances to each of his children and has made adequate provisions for their livlihood and residence and is desirous of making a memorandum regarding the land and building described in the Schedule attached with this Memorandum in particular:NOW THIS DEED WITNESSES AS FOLLOWS:

1. In consideration of natural love and affection for the Child, the Settlor had provided land measuring 7,400 square yards situate in Diara Section of Janta Sector No.1, of the New Township of Bilaspur in Himachal Pradesh and more fully described in the perpetual Lease executed between the President of India of the one part and the Settler of the other part dated the twentyseventh day of February Nineteen hundred and Sixtyfour as Plots.Nos.72 to 79 and also shown as such in the layout plan of the New Bilaspur Township and fully described in the blueprint of the sketchplan of part of the reserved plot of the Settlor copies of both of the plans whereof are appended to this Memorandum, over which the Child constructed her residence and occupied the same aforesaid building as such.

2.(a)The Settlor always had unrestricted and undisputed right of residence in the building aforementioned. The Settlor shall continue to exercise the same right till he completes the construction of his separate residence in the New Bilaspur Township-

(b)Should the Child were ever to choose to transfer in any manner the land and building herein described during the lifetime of the Settlor, the first option to secure the same shall be that of the Settlor. It is furtheragreed that the Settlor on such procurement shall in no case divest himself of the same to any other person except the Child.

3. Although the aforementioned building belonged to the Childfor all purposes and she was the de-facto owner thereof the ostensible title stood in the name of the Settlor.

4. The Child is anxious to have a Memorandum of Settlement to obviate complications from any of the children of the Settlor (or from any other quarter whatsoever). Be it affirmed unequivocally as under:-

(overleaf)

(1) That the building and land shown in the annexed Schedule and plans and indicated in this Memorandum are the exclusive property of the Child.

(2) That the expenses incurred by the Child in affecting the construction of the building were arranged and provided by the Child.

(3) That the Child always had unquestioned title to the building and land described in the Schedule and the plans hereto annexed. The cl[aim] of any of the other Children of the Settlor or any other person to the said building and land had and will have no basis and shall not be entertainable.

(4) The Settlor declares that the Child shall be the owner of the land and building afore mentioned after the demise of the Settlor.

IN WITNESS whereof, the said His Highness Raja Anandchand of Bilaspur, Himachal Pradesh and Rajkumari Rajeshwari of Bilaspur, Himachal Pradesh have hereto put their signatures as the Settlor and the Child, this twentyfifth day of October, Nineteen hundred and Sixtyeight.

Signed at Bilaspur, Himachal Pradesh, this twentyfifth day of October, Nineteen hundred and sixtyeight,

Anandchand 25/10/68
Settlor.

Signed at Bilaspur this twentyfifth day of October, Nineteen hund[r]ed and sixtyeight.

Rajeshwari 25.10.68.
Child.

Witness: [signature] Advocate 25/10/68 (HARISHCHANDAR) ADVOCATE BILASPUR

Witness.: Raghubir Dass cloth merchant Main Market Bilaspur H.P. 25-10-68

Witness: Sohan Lal Chawla Cloth merchant Main Market Bilaspur H.P. 25-10-68

Schedule:-

All that land and building shown in the detailed sketchplan of the Reserved plot of the Settlor bounded as under:-

North: Plot of the Settlor reserved for Shri Gopalji's Temple.

South: Nullah leading to the lake.

West: Steep fall towards the lake and Vias Gufa.

East: Circular roaf of Diara.

Anandchand Settlor 25/10/68

Rajeshwari Child 25.10

तारीख २४ दिसम
२८७५ ई. दस्तखत
करतार आजम

जाहर होई यो कि सर्कार आलमानदल दवा इंगलिसी
की साथ सर्कार दोस्ती की जगे जाहर के हमेशे
माफिक आईन मन्जूत और मन्जूर न जैसा सेन १८
रके आहदनामा दोस्ती और दोस्ती दोस्ती दोनो
तर्फ सर्कार इंगलिसीये व महाराजे रनजीतसिंह
बहादुर स्वर्गवासी के मन्जूर न होने पाया किरा
रत और मजमून उसका हमेशे लिहाज पाया गया
नजर दोस्ती की निशानी इस सर्कार के रहा जो
र महाराजे लाहेव स्वर्गवासी ने भी लिहाज उसका
आखीर रखा फकत

इसवास्ते इस स[illegible] बुडीजनोने [illegible] गे बेठने वा
लों महाराजे साहब स्वर्गवासी के उसी रस्ते दोस्ती कदीर
मी को आवतक दर्जे निहायत जारी रखा परंतु पी
छे मरने महाराजे शेरसिंह बहादुर वैकुंठवासी के जाहर
होने बेबंदबस्त और खुदमुखतारी विच रियासत लाहोर के न
वाब गवरनर जनरल बहादुर ने विच इजलास कौसल के इस
बात को लाजिम और नेक जाना कि वास्ते बरकरारी हदों सरकार
इंगलिसीये के नजर हर एक देशी के ततबीरें लायक फरमावें
जैसी के फीयत और कैफीयत हकीकत उन सब ततबीरों
की और सबब अमल ल्यावना उनका विच उस वखत के सा
थ रस्तीने सके समझावना अहलकारों दरबार दोस्ती
की जगे लाहोर को कीया गया फकत बावजूद कि
आसे र दो बर्स के से बेबंदबस्ती विच उस रियासत के
जाहर मे आई और ख्वाजी रतर हवितर जाहर मे पहुंचे
तो भी नवाब जनरल बहादुर इजलास कौसल मे चा
हने वाले बरकरारी रस्ते दोस्ती के विच दोनो सरकारों वडी
के आवतक मजबूत रही रहे फकत बल्कि नवाब गव
रनर जनरल बहादुर ने बावजूद जाहर होने तरे बिन
रह और चाहने वाले बिच दिल के ठह
रने हमेशे रस्ते मजबूत कदीम कि उस से फायदार

स [illegible] [illegible] रे

औरयेहा [illegible] दानी सर्कार पञ्जाबकी अखबार लोधीयानहकी देख
नेआहवाल लाचारी महाराजे दलीपसिंह बहादुर किसबब
बद्दीरे होने महाराजे साहब पेशानसब जाहर मे आई
फ़क़त औरसर्कार इंगलिसीयेनेभी महाराजे
साहबबेलस्क फौज मे बैठने वाली महाराजेजीरीस
हलेकुठवासीष पालकी वदरजे निहायत सेव
रखीया फ़क़त औरमवावगपेरमेरजसरेह
बहादुरको इजलास कौसल मे बैठाना हमाहिल
वानकाया किविचार हामनलाहोरके पेरवेसमाव
दोवल्लहोजावे कि फोजनीचे हुकमके औरयेमत
आरीम औरतावे दोरीमे रहे फ़क़त
जैसा किनवाबसाहब आवजगवो हीउमे दिलमे
रखतेथे किपैशानको शिशाकरनेसरदारे रैयतउ
सरिपासनके शाहर मे आवेगी परन्तु अहसायोग
गजराकि फोज सर्कार लाहोरकीने तर्फ हवो सर्कार
अंग्रेजीके पक्ष चकीया औरम शहर येहा किना
फिक्र हुकम दरवार आनेके कसद हमेशा वीचान
लके सर्कार अंग्रेजीके है फ़क़त

जैसा कि साहब अजंट गवरनर जनरल बहादुर ने मा
फिकहुकम नवाब गवरनर बहादुर के पूछ ना साब
व उसका दरबार लाहौर से कीया जिस बाबत दे रहे
या केसहू सहीहु के के, की पत उसकी मांगी फक
त किनवाब गवरनर जनरल बहादुर को
हरगिज इनकार ऊपर इस बात के न था कि
इस दोस्ती का कभी सरकार दोस्ती की निशा
नी से बाहर से पहुंचे गा कि सवास्ते सब
बना राजी का पहले के छप नहीं था इस वा
स्ते नवाब गवरनर जनरल बहादुर ने बिच
तजवीज करने कि उस से नुकसान सरकार का
या मुकाबला बिच दोनो सरकार वडी के हो प
हेज रखा फकत जो कि नवाब के फौ
जी एक लई का बाबत दमांगने दो दफे के
दरबार लाहौर से नहीं पहुंचा बल्कि बिच इ
स अरसे के तयारी असबाब सामान लशकर का
बिच सरकार लाहौर के बदस्तूर रहा इस वा
स्ते नवाब गवरनर जनरल बहादुर ने सरकार

[illegible]

मुनासिबहुक्कु[illegible] माया कि,वास्ते [illegible]ही केर्ने फौज या
स्तेषबरदारी सरहदी आगी के हुकम दे फकत
x चावकी फौज सरकार लाहौर की वगेर कुछ लेमा
राजी के हमला ऊपर मुलक सर्कार अंग्रेजी के की
या लाचार नवाब गवरनर जनरल बहादुर वास्ते
अखत्यार तजवीज खबरदारी मुलक इंगलीसी
ये और जाहर करने अखत्यार और मकदूर
सर्कार इंगलिसीये और जाहर के वास्ते सजा
देने आहिद तोडनेवालों और फसाद करनेवा
लों आराम रैयत के तजवीज करनेवाले और
के जाहर करमाते है, वानी इस सबबसे मकानो
त महाराजे दलीपसिंह बहादुर इस तर्फ दरिआव
सतलज मुलक महफूज सर्कार अंग्रेज बहादुर
के है बिच मुलक सर्कार इंगलिसीये के जबर
शामिल और जपत हुआ फकत जाहर
होई यो कि हक केवजा आब सब जागीरदारों
और जिमीदारों और रैयत रहनेवालों मका
नो जिक रके [illegible] के बिच इस वसत के ताबेदा
री और वफादारी के निसबत इस सर्कार इं
गलिसीये के जाहर करेगे, गवरनर जनरल बहा

बहादुर लिख[illegible] और खबरकर[illegible] रे फकत
नवाबगवरनर जनरल बहादुर[illegible] इस इश्तिहा
र से ऊपर खबर देते और सरदारों मुल्कन
ह फ़तूह हुक्म मालूम होता है कि बिच ताबेदारी नीचे हुक
म इस सर्कार के रहि के कोशिश बड़ी वाजिब दरियाफ्त
और तंबीह दुश्मन इस सर्कार के और खसीलों पायेंग
पों उनके के और जाहिर करने खबरदारी और ख दोव
स बिच मुलक महफूज दिल और जान से मसरूफ हो
दरम्यान उन खबर देते सो कि जो कोई साथ दियानतदारी
के और कि शानी और सरगरमी बीच बजा लाने का
म वाजिब रहने नीचे साये हिमायत सर्कार के करैगा
फल उसका ज्यादे और ज्यादे पावेगा फकत
और जो कोई बरखिलाफ इस बात के अमल में ल्यावे
गा साथ गरोह दुसमने इस सर्कार के समझनेवाला
होके सजा बड़ी पावेगा फकत नजर ऊपर
उसके सब रहनेवालो मुलक इसतरफ दरिआ व सत
लज के हुक्म दीया जाता है कि बगैर कुछ फसाद
बिच घर और गाउ अपने के कबूल करैं कि खबरदा
री और हिमायत इस सर्कार की अदलीत रे उसज
गे पावेंगे फकत और सब आदमी हथियार

वांकि कुछ स[illegible] आजाहर नहीं करे [illegible] ऐसी बिचागिन
तीदुसमनोके आ[illegible] कि फल और बदला माफिक फसाद कर
नेवालों आराम रे पतके पहुंचेंगे फकत
और सब जो कोई आदमी बिच ताबे सर्कार आंग्रेजी के है
फकत और जो कोई आदमी बिच दोनो किनारे दरिआ
व सतलज के इलाका आख्तार खते है ओ सब बको शिशक
रने आपने बिच बेर ख्वाही और बिदमतगुजारी सर्कार
अंग्रेजी की बिच हक उनके के जिस जगे होने कसान
होगा दरयाफत और बदला देना उसका सर्कार मुकरर
सर्कार अंग्रेजी को है फकत और भी वासते नीचे
हुकम सर्कार अंग्रेजी माल की पेजाएँगे फकत
पीछे पहुंचने और देखने इस इशतिहार के जो कोई आ
दमी हुकमी मुनासिब लिखे हुवे इस इशतिहार की औरे
बिचनौकरी लाहार की रहे औ रऊसके दिल से बिचाबि
दमतगुजारी सर्कार अंग्रेज के मतलजे न होओ रह
जिरन होला यक सजा के होगा कि जिस कदर माल
और मुलक इस तरफ दरिआव सतलज के बिच
कबजे और दखल रखता हो तमाम जपत होगा फकत
और वास्ते आगे के बिच हक मतगैर के और इस

सनद तमलीक राज विलासपुर इं रूबे दरयाये सतलुज

मोहर दस्तखत - हजूर फैज गन्जूर - नवाब मुस्तताब मुअल्लेइलकाब
अशरफुल उमरा व लार्ड गवर्नर जनरल माइरा साहिब बहादुर
दामइकबालहू

चूंकि आली मरत्तवत राजा महाचंद ने विलासपुर दिलकी सचाई और मनकी सफाई के साथ सरकार अङ्गरेज बहादुर के अफसरान की ताबेदारी व फरमा बरदारी का तरीका इख्त्यार करलिया है - और गोरखों की दोस्ती को बिलकुल तर्क करदिया है - इसलिये - इश्तिहार ७ अकतूबर सन १८१४ मुताबिक २ सवाउल सदर सन १२२६ हिजरी - के मजमून के मुताबिक जो कि वाइसराय के हुक्म से जारी हुवा - मुल्क कहलूर कदीमी दरया सतलुज के इसतर्फ काइम बरकरार रखागया - कभी गोरखा अफसरान के साथ या सरकार कम्पनी बहादुर के किसी मुखालिफ के साथ - दोस्ती व मुलाकात अन्दरूनी व बैरूनी न रखी जावे - और सच्ची नियत के साथ सरकार अङ्गरेजी अफसरान की अहकाम की बजाबरी में मुस्तकिल व बरकरार रहें - और उमदा खिदमात की बजाबरी में यानी - रसद रसानी और बिगारियान का बहम पहुंचाना वगैरा अमूरात - साथ फौज खुद - इमदाद करने में - ततपर व सरगरम रहें - और अफसरान मौजूदा कैफियत की शामील और आइंदा के अफसरान की ताबेदारी खासकर दुश्मनों के दफा करने के लिये अङ्गरेजी फौज की तानाती के वकत खैरखाही में कोई अमर बाकी न छोडा जावे - सिवाय उपरांत मित्रता के राजा साहिब से कोई नजराना खर्चा पेशकश व मामला वगैरा न लिया जायगा -

अगर किसी वकत गोरखों तथा सरकार अङ्गरेजी के बीच मित्रता हो जावे तो राजा साहिब के बारेमे बमौजूदगी उमदा खिदमात राजा साहिब उनके बरखिलाफ कोई अमर या शिकायत न सुनी जायगी - और राजा साहिब की अर्ज दाश्त का मजमून १८ फरवरी सन १८१५ मुताबिक ७ रबीउल अव्वल सन १२३० हिजरी - बमोहर व दस्तखत जनरल अखतर लोनी साहिब पहुंचे गये है भाई सारे सरकार अङ्गरेजी ने उसको मन्जूर करलियाहै -

चाहिये कि राजा साहिब बिलकुल तसल्ली और दिलजमी के साथ अपने मुलक व राज पर मुस्तकिल होकर अपनी प्रजा को भलाई में कोशां रहें - इसलिये ये हुक्म अपने मुलक मकबूजा की बहाल सनद तहरीर करें - ८ मार्च सन १८१५ = मुताबिक २३ रबीउल अव्वल सन १२३० लिखा गया -

तफसील मकानात बाकी इं रूबे दरयाये सतलुज मुताअल्लक मुलक कहलूर उपर लिखी गई - किला फतेपुर - किला ...

सनद नम्बर (९१) 3

तरजुमा सनद जिसकी रूसे अलाका कहलूर मारफ बिलासपुर — राजा जगत चंद को अता हुवा — अलमरकूम २१ अकतूबर सन १८४७ ई०

चूंके अजरूये अहदनामा जो की माबीन सरकार अंगरेजी व सरकार लाहौर के बतारीख ९ माह मार्च सन १८४६ करार पाया कुल अलाका कोही कबजा हाथ बहुत कम्पनी में दर आया — और चूंके राजा जगत चंद कहलूर वाले ने हमेशा फरमाबरदारी हुक्काम अंगरेजी की की — सरकार अब वास्ते हमेशा के राजा जगत चन्द और उनके वरसाये जकूर मतवल्लद रानी को अलाका कहलूर उन हुदूद तक बइख्तयारात कुल — इन्तजाम के देते हैं ~~अगर कोई वारिस जकूर~~ जो बहुक्म अंगरेजी बोच अलाका जात और रूसे दरयाये सतलुज से उनके कबजे में है —

अगर कोई वारिस असली हे सिलसिले मजकूरा बाला का मौजूद न होगा तो तो अलाका मय इख्तयारात कुल किसी उसके ~~कजैरे~~ नजदीक रिश्तेदार जकूर को जो वारिस करीब राजा का होगा — दिया जावेगा — मगर यह अमर वाजा रहे के अगर कोई उनका जानशीन नालायक इन्तजाम अमूर रियासत होगा — तो सरकार अंगरेजी को इख्तयार हासिल रहेगा कि वोह ऐसे नालायक जानशीन को बरखास्त करके किसी दूसरे करीब के रिश्तेदार लड़के को अलाका तफवीज कर देंगे — और कोई इसतरह जानशीन राजा करार दिया जावेगा उसके पास अलाका व शरायत मन्दर्जा अहदनामा जेर जो राजा ने लिखाई बिला मुजाहमत रहेगा +

"शरत अव्वल"

यहकि वोह तमाम महसूल तरांजट (जकात) अपने अलाके में मौकूफ करे और अपने ऊपर फरज गरदाने कि वोह हिफाजत सराफान व तजारान व दीगर अहले हिरफा अलाका की करे +

शरत दोम

यहकि वोह सड़कें अपने अलाके में जो बारह फुट से कम अर्ज में न होंगे बनायेंगे और उनकी मरम्मत वक्त जरूरत करेगा "

"शरत सोम"

यहकि हंगाम जंग हसबुल हुक्म वोह शरीक फौज अंगरेजी मय अपने तमाम हमराहयों के और सिपाहियों के रहेंगे और आमादा तामील अहकाम हुकाम अंगरेजी रहेगा — और हसबउलहुक्म कान अपने ~~[illegible]~~ रसद वगैरे का इन्तजाम करेगा

दफ़ात चहारम–

यह कि हरएक तनाजा जो दरमियान राजा कहलूर और किसी दूसरे रईस के वाका होगा – वोह सुपुर्द अदालत अंगरेजी होगा.

" दफ़ात पन्चम "

यह कि वोह कोई जुज अपने अलाके का बिला इत्तलाअ और इजाजत सरकार के अलैहदा या रहन न करेगा +

" दफ़ात शशम "

यह कि वोह अपने अलाके में रसम बरदह फरोशी व सती व दुख्तर कशी को मौकूफ करादेगा व नीज रसम जलादेने या गरक आब करने बिमार मजजूम की भी मौकूफ कर देगा – यह अमर खिलाफ आईन सरकार है और वोह ऐसा हुकम सखत निसबत इन्सदाद जरायम के जारी करेगा कि कोई मुरतकिब जरायम मजकूरा बाला का न होगा +

—

राजा अपनी सरहद्द से बाहर किसी दूसरे अलाके में दस्तअन्दाजी नहीं करेगा और इस सनद की शरायत और मोतबिर तसवर करके शरायत मुन्दरजा की तामील में कोशिश करेगा + और वेहबूदी बाशिन्द गान और बेहतरी अलाका में सई करेगा और वोह तदाबीर बरुए कार लायेगा जिससे तरक्की जराअत और दादरसी मजलूमान व बहाली हकूक जायज व अमनीयत शारेअ आम मुतसव्वर हो – वोह अपनी रिआया से अखज बेजा नहीं करेगा – बलके उनके साथ मेहरबानी से पेश आयेगा – ताके वोह उसके शुकरगुजार रहें और रिआया पर फर्ज है कि वोह उसको और बाद उसके उसके विरसा को अपना मालक जी हक तसव्वर करके मालगुजारी वाजबी के अदा करने में कासर न हों और हमेशा उसके – मतीअ और हुकमबरदार रहें – और खुशी से जिन्दगी बसर करें "

कहलूर मारूफ बिलासपुर

राजा कहलूर का अलाका दोनो जानिब दरयाये सतलुज के है मगर अजरूवे सनद नं ८० जो राजा महाचंद को सन १८१५ मे दी गई थी सिरफ अलाका शरकी उनको मिला था - एक दूसरी सनद नम्बर ८१ सन १८४७ राजा कहलूर को अता हुई - उसकी रू से बाहे अलाका भी उसको मिला जो किनारे रास्त दरयाये सतलुज वाका था — और अबतक मातहत दरबार लाहौर के था - मौकूफी महस्सल तनजर गिरजुमला आरायत सच थी - और दरख्वास्त राजा बाबत मुआवजा नामंजूर गवरनर जनरल बहादुर हुई - एक वजा नामंजूरी की यह भी [illegible] थी कि बवाअस मुतकिल होने अलाका और बे सतलुज साथ सरकार अंगरेजी के राजा को अब बाहे माल गुजारी करीब चार हजार रुपैये के नहीं देना पड़ती जो बाहे दरबार लाहौर को देता था.

राजा कुछ मालगुजारी सरकार मे अदा नहीं करता मगर खिदमत सपाह का उसके वादा हुवा है

नाम राजा को हीराचंद है उमर २६ साल खानदान राजपूत बजिल्दूये खिदमत जो उसने बलवा सन १८५७ मे की राजा को खिलत ५०००) रुपये का अता हुवा और सलामी ७ जरब की मुकर्रर हुई - आमदनी इस अलाका की ७००००) रुपये से कम नहीं है आबादी तखमीनन ६६८४८ नफर है

चिट्ठी सैक्रटरी साहिब पञ्जाब गवर्मिन्ट ५

राजा साहिब शफ़ीक़ मेहरबान दोस्तान राजा जगत चन्द साहिब
गुलेर सलामत

बाद इश्तियाक़ मुलाक़ात मसर्रत आयात वाज़ह ख़ातर बाद -
बफ़ज़लुल्लाह जो अर्ज़ी बजानिब आँ मेहरबान कि बख़िदमत
साहिब अशरफ़ आलीशान जनरल साहिब बहादुर दरबाब
दरख़्वास्त इस्तहक़ाक़ रियासत ~~गुलेर~~ कहलूर कि अज़ रुए
वसीयत-ख़त अंग्रेज़ी व सनद इक़रार याफ़्ता बूद
~~ख़त अंग्रेज़ी~~ अज़ सद्र हुक्म सादिर अस्त कि नालिश
अर्ज़ी मुहक़मा ज़ेर नेस्त अज़ मुहक़मा - बोर्ड शिकायत बुवद
पस बराए इत्तला करदा इत्तलाह ख़ातर अस्त कि हस्ब मज़कूर
मालूम बनाबर मतालिब मशारुन इलैह रियासत कहलूर बराए बनाए
आँ शफ़ीक़ कराम याफ़्ता अस्त मुस्तहक़ अस्त - ज़ियादा बजुज़
इश्तियाक़ ख़ातर चीज़ फ़क़त - मरक़ूम ३० जौलाई सन १८५१
इन्बी.

१८५१

नकल मुरासला एजट साहिब

२९ मई सन १८५७

राजा साहिब मुशफिक मेहरबान दोस्तान सलामत

बाद इश्तयाक मुलाकात मसर्रत अंजाम के मित्रम्मिज उल हद उलवस्ती मकशूफ खातिर सफा मासर बाद- कि तहरीर साहिब आलीशान एरठ वलियम बीटी साहिब बहादुर डिप्टी कमिश्नर व सुपरिन्टेन्डेन्ट कोहिस्तान शिमला से वाजा हुवा कि इस मौके पर आप मुशफिक से हरतरह वफा शारी व खैरखाही व हुसन खिदमत जहूर में आई - इस बात से ईजानिब कमाल खुश हुवे- और यह तहरीर बहजा हार खुशनूदिये ह्वाला कलम इत्तहाद रकम की गई - और ईजानिब को आपकी जात से तवका वासिक है कि आप मेहरबान हमेशा- इसी तौर बल्के इससे जियादा वफा मन्दी व खैर अन्देशी व खिदमत गुजारी सरकार मे बदिल व जान मसरूफ रहेंगे - और जो इरशादात पेशगाह साहिब सुपरिन्टेन्डेन्ट कोहिस्तान शिमला तिशरीफ पावे मे उनके बजा आवरी मे को शिश फरमावेंगे - कि इसमे नेकनामी आप मुशफिक और खुशनूदी सरकार मुतसव्वर है - ज्यादा अज खवाहिश खैरियत मसरूर बेहद बाशाद

दस्तखत

" नकल मुरासला वई सरायेे " कैनिङ्ग साहिब १

इफ्अतव आलिये मतबत्त- इत्तजाद दोस्तान सल्मअल्लताला

बिल्फेल अज तहरीर साहिब चीफ़ कमिश्नर बहादुर पञ्जाब दरयाफ़त शुद कि अंरे तनजाद अज रह गुजर खलूसे अक़ीदत व इरादत कि निसबत बई सरकार बलन्द इक़तदार दारद- हंगाम बलवाये मुफ़सिदान- हसबउलतलब- साहिब सुपरिटेन्डेन्ट कोह शिमला- ज्वानान मुसल्लह मुतअय्यन दाश्ता- बराये हिफ़ाजत्त कोह मजकूर सई तमाम तर बरूबे जहूर आवरदअन्द हर आइना इत्तफ़ाक़ इं चुनीं हुसने अक़ीदत व खैर ख्वाही अंरे इफ़त मरातीत के बरुवनी वक़्त कारहाये अन्द मूजबे मुसर्रत व शादमानीहा गरदीद बिना अलां करमात तहसीन व आफ़रीन बर रूये खातिर मे दारआयद व बतौर ख्वाहिर ख़िलत फ़ाखरा क़ीमती पञ्ज हजार रुपैया अजजाने मे आयद- लाजिम कि इं जानिब रा- खवाहे खैरियत खुद दानिस्ता व इत्तला अंरे मसरूर मे साख्ता बाशंद ज़ियादा चे निमाइश आयद=

बलखत

नकल रिपोर्ट कर्नल पी पाइस साहिब कमिश्नर किसमत
अम्बाला

राजा साहिब कहलूर सब रईसान पहाड़ में निहायत अकलमन्द और उन्ने जगह
और उनके अहलकार भी बड़े हुश्यार और आपसमें इत्तफाक करनी रखते है
ऐसे रईस को अगर यह इलाका दिया जावे निहायत खूबी की बात है
इसमें निहायत खराबी यह है कि इस इलाके में से कुछ तो राजा साहिब
के कब्जे में और कुछ सरकार अंगरेजी का है अगर कुल इलाका राजा साहिब
के ही कब्जे में रहे निहायत खूबी की बात है - या तो बीस बर्ष का मामला
राजा साहिबसे इकट्ठी दफा लेने के इलाका दिया जावे - या जो मामला
उस इलाके का है बाद राजा साहिब सरकार में देते रहे इलाका
राजा साहिब के तफवीज हो जावे - सरकार को पेश्तर राजा साहिबकी
खवाने हुश्यारी तैयार न हुई थी वरना यकीन था कि पहले ही
यह इलाका राजा साहिब को मिल जाता - अब इस इलाके के
देने में सरकार शामिल ने की इस निहायत सिफारिश से लिखते है -

असिस्टन्ट
मुरासला ~~कमिश्नर~~ साहिब अम्बाला ९ जनवरी सन १८६२ ८
चीफ़ सेक्रेटरी

राजा साहिब मुशफ़िक़ मेहरबान दोस्तान सलामत

बाद इश्तियाक़ मुलाक़ात मसर्रत समात कि मितजाविज़उल्फ़दल्ल मक्सद के ख्वाल सफ़ा
माल बाद + खत नक़्ल नम्बर चुवालीस दोम मोहर्रमा १८१८ एतमादवत मालिमंजरत
वज़ीर मंगी ने गुज़राना - और एक अर्ज़ी अज़ जानिब भी बदस्तखत अपनाये वसीह पद्दोह
वैनो जागीर या वज़ीफ़ा साठ हज़ार सालाना मालगुज़ारी सरकार व वक़्त दीगर यानी ता मज़कूरी
हरदो दस्तख़त पाला मिलजाने अलाक़ा मज़कूर वज़ीफ़ा हकूमत साठ हज़ार मामूल
बिल्ल साला मक़्बूल हुआ गवर्नमेन्ट हिन्द वज़ीर ने गुज़राना - जवाब लफ़्टिनेन्ट गवर्नर बहादुर
याद दिलाना व और इरशाद फ़रमाते हैं कि यहाँ से सिफ़ारिश गवर्नमेन्ट आला में
जवाब हाजिरा सरकार नहीं कर सकते और जो कि ताल्लुका मालगुज़ारी सिर्फ़ जिमीदारान
के साथ हो सकती है जो मालक रज़ी होते हैं - दूसरा के साथ नहीं हो सकता
इत्तलाअन इरसाल क़लम हुआ - ज़्यादा इज्ज़ खत व खैरियत मसरूर व मन्ज़ूर वाक़ई
दस्तख़त

चिठी अगनर साहिब २१ मार्च स १८६२ १०

राजा साहिब मुश्फ़िक़ मेहरबान दोस्तान सलामत

बाद इश्तियाक़ मुलाक़ात मसर्रत समात ज़ाहिर रायज़ उहद्द उल्फ़तदाला
मकशूफ़ ख़ातिर सफ़ा मासर बाद ३

किता सनद दस्तख़ती व मोहरी नवाब मुस्तताब मुअल्ले अलक़ाब राइट आनरेबल
अर्ल कैनिंग साहिब बहादुर वाइसराय व गवर्नर जनरल बहादुर कैसरे हिन्द - जी सी बी -
व ग्रैंड मास्टर आफ़ दी मोस्ट एक्ज़ाल्टेड आर्डर आफ़ दी स्टार आफ़ इंडिया - मुश्अर अताये
इस्तमरारी मुसावात निस्बत व ख़ानदान आं मुश्फ़िक़ जो बमय चिठी साहब
सेक्रेटरी आज़म गवर्नमेंट हिन्द - नम्बरी ३१२ मुवर्रख़ा ५ मार्च सन १८६२
इस मेहकमे में पहुंची - एक रक़मा मुख़्तसर हासिल है - यह अतीया ~~[illegible]~~ १८
अज़ली और मोहर कबीरी सरकार इनायत किया है - जो ज़रिया इफ़्तख़ार
व इज़्ज़त व अज़मत ख़ानदान व दस्तावेज़ क़ायमी रियासत आं मुश्फ़िक़ का है
हुज़ूर कमाल ख़ुशी व रज़ामन्दी जनाब नवाब लफ़्टनन्ट गवर्नर बहादुर को
हुआ - आं मुश्फ़िक़ को मुबारक हो मरक़ूम फ़ी २१ मार्च सन १८६२ -
दवाम अज़ ख़ैरियत ख़ैरियत मसरूर व महीत मेहरबानी बाशंद +

दस्तख़त

रोयकारी कचहरी कोहिस्तान जिला धर्मशाला बइजलास मिस्टर विलियम आरम्स साहिब बहादुर डिपुटी कमिश्नर बन्दोबस्त — 71

७ सितम्बर १८६२
५७
१८१८

राजा जय सैन वालिये मुकेरी मुदई
राजा जगत चन्द वालिये नदौन मुदाअलै

दावा ५२६४, मालगुजारी लाई सद्द
कजा जिमनी राजा खड़क चन्द महाराजा नदौनिया

मालगुजारी मुतअल्लिका	मालगुजारी नदौन
२२८३॥	२२८०॥

मिसल हस्बुलहुक्म बिफर्मायश मेजर टेलर साहिब डिपुटी कमिश्नर बहादुर जिला कांगड़ा मुरसला साहिब कमिश्नर बहादुर मुल्क दुआबा जालन्धर बजरिये चिट्ठी रोबकार २१ जून सन १८६२ मिसवदा इसके कि राजा साहिब नदौन मुस्तहक मौरूसी इस जिले के हैं — इस अदालत में मौसूल होकर — आज मुखतार राजा वकील फरीकैन व मौसूफ राजा साहिब हमारे रूबरू पेश हुई — बाद मिसल से दरयाफ्त हुआ कि राजा साहिब मुकेरी ने दावा अपना बनाम राजा साहिब नदौन बाबत कजा जिमनी राजा साहिब नदौन — अदालत कांगड़ा में पेश किया — और साहिब डिपुटी कमिश्नर कांगड़ा ने बसबब गुजरने मीयाद राजा साहिब मुकेरी को आली तसफीया करने वास्ते दाखिल करने रुपिया बगैर सबूत के मीयाद छः महीना राजा साहिब मुकेरी को दी — और बतौर अपील राजा साहिब मुकेरी साहिब कमिश्नर बहादुर मुल्क दुआबा जालन्धर ने बइलत्तफात उजरात राजा साहिब नदौन के कागज मंजूरी अदालत हाजा तलब फरमाकर मिसल मुकदमे को बजरिये चिट्ठी वास्ते तजवीज के इस अदालत में भेज दी — और हमने जो इस बाद मिसल पर गौर किया — तो हमारी दानिस्त में कई वजह से यह दावा राजा साहिब मुकेरी का काबिल दरयाफ्त करने के राजा साहिब हीरा चन्द वालिये कहलूर से हासिल नहीं है — अव्वल ये कि अव्वल तो तारीख तमस्सुक से इजरा नालिश तक जियादा बारह बरस से मुतजाविज हो गये (२) ऐसा कोई सबब माकूल जहिन में नहीं आता जो आज तलक मानी बहाली इजरा नालिश का रहा हो — और जो राजा साहिब मुकेरी लिखते हैं कि हम बाउम्मीद गद्दीनशीनी मिसल राजा खड़क चन्द खामोश रहे — तो यह उजर लायक [गौर] नहीं कि अर्सा करीब बारा बरस का गुजरता है कि जब रानी साहिबा कहलूरी लाकौरी ने इस जिहात पैदा होने फरजन्द का किया था व तहकीकात जाहिर ईसल करके साहिब बहादुर यह बात बखूबी साबित हुई — कि मुतवफ्फा राजा साहिब खड़क चन्द से कोई औलाद बजूद नहीं रखती — इसलिये बहुक्म गवर्नमेंट गद्दी रियासत कहलूर की राजा साहिब जगत चन्द को मिली थी — और अब बजाये राजा जगत चन्द राजा हीरा चन्द नवासा उनका गद्दीनशीन है — और सिवाय इसके बाद वफात राजा खड़क चन्द कई साल तक आमिल सरकारी कहलूर में रहा — अगर दावा राजा साहिब का रास्त व दुरुस्त था चाहिये था कि उस वक्त पेश करते (३) तमस्सुक राजा खड़क चन्द की वफात से कुछ कम एक महीना पेश्तर का लिखा हुआ है —

ओर उसपर गवाही का इसरार ओर मोतमिदान रियासत से किसी को नहीं है -
ओर (४) जिन लोगों को राजा साहिब सुकेत इस मुकदमे का गवाह करार देते हैं
हम उनको बखूबी जानते हैं कि रियासत कहलूर से निकाले हुवे हैं - ओर
राजा साहिब कहलूर से निहायत दुश्मनी रखते हैं - ऐसे आदमियों की गवाही
ऐसे पुराने मुकदमे में हम काबिल एतबार नहीं समझते (५) कि राजा
साहिब जगत चन्द ने खजाना या माल मता राजा खड़ग चन्द का कुछ नहीं
पाया - उनको मुल्क सरकार की तर्फ से बसबब लावल्द होने राजा खड़ग चन्द
के मिला ओर बरवक्त मिलने मुल्क के सरकार की तर्फ से अमीन तकरर होकर
सब हिसाब किताब जागीर वगैरे सरकार ने दरयाफ्त कर लिया था -
ओर सिवा इसके आखरी वक्त में राजा खड़ग चन्द के मुल्क में ऐसी बे
इन्तजामी थी ओर उसकी ने लोगों के सबब से मोहतमीन खिआनत करते थे -
जिससे चाहा कागज पर मोहर लगाली - बल्कि दो तीन मुकदमे इसी किस्म के
यहां पेश होकर खारिज होगये (६) यह कि एक मुद्दत तक अलाका सुकेत
मुतअल्लक जिलाके रहा उसवक्त भी राजा साहिब खामोश रहे - पसबनजर
बजूहात मुन्दर्जा बाला व नीज बमूजब मुन्दर्जा रोबकार मिस्टर बारनस साहिब बहादुर
डिपुटी कमिश्नर हमारी रायमें यह दावा राजा साहिब सुकेत का
काबिल दरायमगान राजा साहिब कहलूर से मुतअल्लक होकर

हुक्म हुआ

कि दावा राजा साहिब सुकेत का डिसमिस हो - खत इत्तलाही
बनाम राजा साहिब सुकेत मारफत मोहतमिद उनके जारी हो
ओर नकल इस रोबकार की इत्तलाअन बजरिये चिट्ठी अंगरेजी
खिदमत में साहिब कमिश्नर बहादुर मुल्क दुआबा जालन्धर
मुरसिल हो -

नकल तरजुमा चिट्ठी सेक्रेटरी बहादुर पंजाब

नम्बर ५२८ मुवर्रखा १ औक्टोबर सन ६७

बनाम कमिश्नर बहादुर किस्मत अम्बाला

दफ्तर अंगरेजी

नकल चिट्ठी गौरमिन्ट बहादुर हिंद नम्बर ६३५ मुवर्रखा ३० मई सन ६७ के बगरज मुलाहिजे के भेजी जाती है वह मन्शा मतलब उसका जहन नशीन राजा साहिब के हस्ब अपना औत्तमिन्द पाल साहब कमिश्नर बहादुर जालन्धर मुकाम धर्म के किया जावे और राजा साहिब मौसूफ को लिखा जावे कि एक अर्जी भेज देवें वास्ते इन्तजाम लेने वसूह वगैरह के फकत.

तरजुमा चिट्ठी नम्बरी ६३५ मुवर्रखा ३० मई सन १८६७

अज जानिब डपटी सेक्रेटरी गवर्नमिन्ट हिंद बनाम साहिब सेक्रेटरी गौर्मिन्ट पंजाब

हवाला देते हैं आपने दफ्तर की चिट्ठी नम्बर ७८१ मुवर्रखा ११ सितम्बर सन ६५ ई और जवाब साहिब सेक्रेटरी गौर्मिन्ट पंजाब के $\frac{८४५}{४३१}$ मुवर्रखा ८ अक्टूबर दरबाब वापसी अराजियात वगैरा वसूह वगैरह वास्ते राजा साहिब बिलासपुर – इस बाब में बमूजब हुक्म गौर्मिन्ट हिंद के तुम्हारे पास वास्ते आगाही जनाब नवाब लफटेनेंट गोवर्नर पंजाब की एक चिट्ठी सेक्रेटरी अफसर इंडिया – नम्बर २० मुवर्रखा २४ मई सन १८६७ भेजी जाती है

तरजुमा चिट्ठी नम्बर २० मुवर्रखा २४ मई सन १८६७

अज मुकाम इंडिया आफिस

बनाम साहिब वाइसराय गोवर्नर जनरल किश्वर हिंद

वाजा हो कि हमने उस चिट्ठी आपकी जो सामा कौन डिपार्टमेंट से इजरा हुई है याने न ३७ मवर्रखा २३ फरवरी सन ६७ की कि जिसमें आपने एक तजवीज का जिकर किया वास्ते वापस अराजियात वगैरा वसूह वगैरह के बराजा साहिब बिलासपुर बवजह खैरायत बहुत गौर और तामल से मुलाहजा किया तो मालूम होता है कि गवर्नमेंट पंजाब की तजवीज इस मुकद्दमे में यह थी

कि राजा साहिब से एक रकम बाबत आमदनी सायरात परगना मजकूर की बतौर
नजराने के ली जावे और आपकी राय इस तरह पर है कि राजा साहिब को
इख्तियार दिया जावे कि अगर मंजूर होवे इस कदर रकम पर इत्तफाक
लेवे कि जिसका सूद अगर मौनासिब ता उससे खर्च हो जावे - बाबत
सायरात आमदनी उस परगने की होवे और आपने यह हिदायत मुनासिब
खास इसम लगाई कि इन्तकाल इस परगने के हरगिज बगैर हमारी मर्जी
दाखल परगना मजकूर के न हो - मोवाफिक इसका मुफस्सला दाम अकबार होने
बाद गौर व शामिल कागज के हमने तजवीज में से उस तजवीज को पसन्द
किया कि जिसका जिक्र तुम्हारी चिट्ठी दफा ४ में दर्ज है यानी यह कि जिसके
रूसे परगना मोरूसी बअदाय नजराना बाबत आमदनी सायरात इस परगने के
राजा साहिब को वापस अता होवे - अतएव हम इजाजत देते हैं कि अमल
दरामद इस तजवीज पर किया जावे - फकत

चूंकि मजमून चिट्ठियात वास्ते आगाही राजा साहिब हाथरस
लिहाजा
हुक्म हुवा कि नकल तर्जुमा इनका कि बजाय असल बखिदमत
राजा साहिब बिलालपुर के असल हो और लिखा जावे कि एक
अहलकार अपना बखिदमत साहिब कमिश्नर बहादुर गोरखपुर के
भेज देवें - अलमरकूम २ अगस्त सन ६७ ई०

खुद दस्तखत

नकल मुरासला २० अगस्त सन ६७ मुक़ाम कलोरी 73

कमिश्नर साहिब अम्बाला

+

राजा साहिब मुशफ़िक़ मेहरबान मुख़लिस सलामत - सलामत

बाद इश्तियाक़ मुलाक़ात बहजत आयात कि मिं जोविज़ उल हद उल इख़्तियार
मुकर्रफ़ ख़ातिर मुहब्बत मातर मरक़ूम मीदारम आप दे - नकल तर्जुमा चिट्ठी
साहिब सेक्रेटरी गवर्नमेंट पंजाब नं ५२८ मुवर्रख़ा १० जौलाई सन १८६७
मे नकल तर्जुमा चिट्ठी साहिब सेक्रेटरी बहादुर अस्टेट इंडिया नं ८०
मुवर्रख़ा २४ मई सन ६७ बमुहिम्मा अताये परगना बसेह बछरेटू ज़िला कांगड़ा
वास्ते साहिब - आज पेशगाह जनाब फ़ैज़याब फ़लक बारगाह मलका
मुअज़्ज़मा दाम इक़बालहु व अक़बालहु - बएवज़ नज़राना मुताबिक़
आमदनी सालाना परगना मज़कूर हस्ब मुंदर्जा तर्जुमा चिट्ठी साहिब
सेक्रेटरी अस्टेट आफ़ इंडिया बहादुर बनाम मुलाहज़ा आं मुशफ़िक़
एक रुक़मया उल हुक्म नादया - फ़िरिस्तादा मे शवद - लाज़िम कि बदानी
मुहलका ख़ुद रा बख़िदमत जनाब साहिब कमिश्नर बहादुर जालन्धर
रवाना फ़रमायंद - ज़ियादा बजुज़ इश्तियाक़ मेहरबानी नामजात याद आवरी
मे फ़रमूदा बाशंद - फ़क़त =

मुरासला ३० सितम्बर सन १८६७ साहिब कमिश्नर सुपरिंटेंडेंट

किसमत जालन्धर = बनाम मागरू =

राजा साहिब मुशफ़िक़ मेहरबान मुख़लिसान सलामत

बाद इश्तियाक़ मुलाक़ात वाज़ा बाद - जो कि इस मैहकमे से खिदमत में साहिब
डिप्टी कमिश्नर बहादुर जिला कांगड़ा को लिखा गया है - कि दखल आप
मेहरबान का निस्बत अमलाका बमह बहर २ में करा देवें - और कागजात
उस अमलाक के सपुर्द मोहतमिम द आप मुशफ़िक़ के कर देवें - बिना बे जिमिदारान
अमलाका मजकूर को इतला दी गई होगी - अब किस्त बन्दी अमलाका मजकूर की
उसूल सेन हवाला अहलकार आप मेहरबान के करदी है - मुनासिब है कि आप
मुशफ़िक़ १५ अक्टूबर सन हाल से दखल अपना अमलाक मजकूर में करलेवें -
और जो मुआमला बगैरा होवे १५ तारीख मजकूरा सदर से वसूल फरमावें -
और वास्ते फैसला बाकी मुकदमात दिवानी व फौजदारी बगैरा अमलाका मजकूर
की इनकदीन अब्बल से हुक्म होगा - लिहाजा मुरासला हजा इतलाअन खि-
दमत में आप मुशफ़िक़ के भेजा जाता है फकत =

दस्तख़त मिस्टर थामस डिगलिस

गोरखाप - साहिब बहादुर =

१२

नकल मुरासला कमिश्नर साहिब अम्बाला

बाबत परगना बसेह बछोह

=

राजा साहिब मुशफ़िक़ मेहरबान मुख़लिसान राजा हीराचन्द साहिब बहादुर
वालिये कहलूर सलामत"

बाद इश्तियाक़ मुलाक़ात मवाहजत आयात के मितजाविज़ हद्द उल हदसा मकशूफ़ ख़ातिर
मइबत मासर गायानीदा मे आयद +

चिट्ठी नम्बर ९८६ मुवर्रख़ा २० नवम्बर सन ६७ अज़ तर्फ़ सैक्रेटरी गवर्नमिन्ट पंजाब
बनाम साहिब कमिश्नर बहादुर अम्बाला - हवाला चिट्ठी नम्बर ५२५ मैहकमा हज़ा मुवर्रख़ा
१० जौलाई सन ६७ = व इरसाल नक़ल चिट्ठी गवर्नमिन्ट पंजाब नम्बर ९८४ मवर्रख़ा २०
सितम्बर बजवाब चिट्ठी $\frac{७२}{२३२}$ वाके इरशाद कि जनाब गवर्नर साहिब बहादुर
व इजलास कौंसिल मञ्ज़ूर फ़र्माते हैं कि परगना बसेह बछोह राजा साहिब
बिलासपुर यानी मुशफ़िक़ को दिया जावे - और मुबलिग़ ८००० आठ हज़ार रुपयों
साल बसाल दाख़िल किया करें -

दफ़ा दूसरी यह कि जो रईस कुटलैहड़ वास्ते परगना बसेह बछोह
के दरख़्वास्त करते हैं - उसको जनाब गवर्नर जनरल बहादुर ना
मञ्ज़ूर फ़र्माते हैं -" मोसूल नविश्ता होकर - इत्तलाअन इज़हार किया
मुहब्बत लिखा है आइन्दा हमेशा बइरसाल मेहर नामी नामजात
यादबाद फ़र्माते रहें फ़क़त - मुर्रख़ा १२ दिसम्बर सन १८६७

अंग्रेज़ी दस्तख़त
कमिश्नर
साहिब

मुरासला साहब डिपटी कमिश्नर मेजर यंग साहिब कांगड़ा १३

३० जनवरी सन १८६८

राजा साहिब मुशफिक मेहरबान करम फरमाये मुखलिसान सलामत
बाद इश्तियाक मुलाकात मोहब्बत आयात जमीर इखलास पजीर बाद
इखलास नामा तवद्दुद शमामा दह तहरीर हुआ कि जिसके जरिये से माफत तहसीलदार
हमीरपुर जिमीदारान इलाका बसह बड्डेरू को फेहमायश हुई कि इलाका मजकूर सपुर्द
राजा साहिब यानी आं मुशफिक हुआ - इसवास्ते लोग अपने तईं तावे दार उनके समझे
और मुकद्दमात दिवानी फौजदारी के दायर होंगे उनको भी राजा साहिब समात किया
करेंगे - मोसूर साफिवा होकर जो कि रोज नामा इत्तहाद समामा होता है कि बमौजिब
हुकम डाकट ५४२ मवरखा ८ दिसम्बर सन ६७ साहिब कमिश्नर बहादुर व नकल हुकम
नम्बर ६२८ मवरखा २० दिसम्बर सन ६७ गवर्मिंट हिंद इलाका बसह बड्डेरू
बाद लिये जाने इकरार २००० साल बसार तजवीज आं मुशफिक हो गया - और
मुकद्दमात सब किसम के - दिवानी - फौजदारी - माल आप समात करेंगे -
और जिमिदारान उस इलाका को तवाहे अपने समझेंगे - चुनांचे बमौजिब हुकम
२८ दिसम्बर सन ६७ मेहकमा हजा - तहसीलदार को इत्तला दी गई है आप भी
मुतलाह रहें फकत

“ दस्तखत अंग्रेजी ”

राजा साहिब मुशफ़िक़ मेहरबान मुखलिसान राजा अमरचन्द्र साहिब बहादुर वालिये इलाक़ा बिलासपुर सलामत

बाद इश्तियाक़ मुलाक़ात बोहजत आयात कि मिजाजे शरीफ़ उल हाल — इस प्रकार न० (१२४०)

मक्फ़ूफ़ से ख़ातिर महब्बत मआल पर वाज़ेह होगा कि सन १८८५ को रवाना अप्रैल अब्बल तहरीर हुवा

मशफ़िक़ इस मज़मून से आया था कि बमूजब चिट्ठी गवर्नमेंट पंजाब नम्बर ६२४ मुवर्रख़ा ३० दिसम्बर सन १८८४

गवर्नमेंट हिंद बज़रिये लाट कौंसिल से बढ़ाहुआ दाखिल रियासत हुवाथा बहुक्म इजलास

और बवारिस ८००० रुपया बज़रिये रियासत हुवाथा - और ज़िला कांगड़ा से

अदा होकर सपुर्द रियासत हुवाथा - उसरोज़ से बाबत कारह रियासत दिवानी फ़ौजदारी वग़ैरह का जारी है - चूँकि रियासत हज़ा में बढ़ाई होती है मेरा मन्शा

यह है कि बमूजब दस्तूर रियासत बढ़ाई की जावे - अगर वे रियासत को

अपने मुल्क में सब इख्तियार हासिल हैं - मगर बतौर मशविरा आपसे रुख़साब किया जाता है - बाद मुलाहज़ा मुराशला के काग़ज़ात के कोई नज़ा बतदरीज माना

नहीं मालूम होती - आपको इख्तियार है - मगर अक्सर ज़िमींदार इलाक़ा अंग्रेजी

नक़दी को पसन्द करते हैं - और मुख़लिस अगर आप बढ़ाई मुक़र्रर करें तो आप

मुख़लिस को इख्तियार है - बाद समाप्त उज़रात ज़िमींदारान के आप मुख़लिस

प्रारा बढ़ाई लगावें - ताकि नौबत शिकायत की न होवे - और हिक़ायत अगली से रज़ामन्द करावें - ~~[illegible]~~

ज़्यादा बजुज़ मेहरबानी नामजात से याद फ़रमाते रहें - अरमुल्ला

८ अप्रैल सन ८५

रोबकार इजलास मिस्टर आर. मेरी डथ साहिब बहादुर सुपरिन्टेन्डेन्ट रियासत हाये
कोहस्तानी जिला शिमला
३१ ७/१८६९

हस्ब नाबे आइन्दा इन्तजाम रियासत बिशहर के व सलाह राजा साहिब इन्तजाम हस्ब जैल कियाहै - तमाम इख्तयारात इन्तजामिया व जुडीशल व मातहत राजा साहिब कौंसिल के तीन मिम्बरान के सपुर्द किये गये हैं जिनकी तनख्वाह व नाम जैलमें दर्ज हैं - बिलाइजाजत सुपरिन्टेन्डेन्ट रियासत हाये कोहस्तानी राजा साहिब कोई तौर व तबदील कौंसिलमें नहीं करेंगे - प्रेजीडेन्ट कौंसिल इस बात का जिम्मेवार होगा कि तमाम मेहकमों का काम अच्छी तरह और जल्दी होता है - अगर कोई नकल होगा तो राजा साहिब के पेश करेगा - कौंसिल के मातहत दो अदालतें होंगी - यानी अदालत वजीर जिसको खफीफ मुकदमात फौजदारी के फैसला करने और तीन माह सजाये कैद और पचास रुपये तक जुरमाने का इख्तयार होगा - और मुकदमात दिवानी तमाह का तादादी पचास रुपये तक फैसला करने का इख्तयार होगा - दीगर मुकदमातमें वोह तहकीकात करेगा और नतीजा तहकीकात कौंसिलमें वास्ते हुक्म के भेजेगा -

तहसीलदार जो सुपरिन्टेन्डेन्ट कारखानजात का भी काम करेगा उसको भी खफीफ खफीफ मुकदमात फौजदारी यानी एक माह सजाये कैद और १० रुपये तक जुरमाने का इख्तयार होगा - अहलकारान जैल ओहदाहाये जैल के लिये इन्तखाब किये जाते हैं

१ मियां सुजान सिंह प्रेजीडेन्ट कौंसिल तनख्वाह १०० रुपये माहवार
पंडित जोरावर सिंह मिम्बर कौंसिल तनख्वाह ८० माहवार
कौर सोहन सिंह मिम्बर कौंसिल तनख्वाह ८० माहवार
वजीर अहमद खां तनख्वाह १५ माहवार
तहसीलदार व सुपरिन्टेन्डेन्ट कारखानजात मियां प्रेम सिंह तनख्वाह ३५ माहवार
वकील केसो राम तनख्वाह २५ माहवार
नायब तहसीलदार नानकू राम तनख्वाह २५ माहवार
सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीस आत्मा राम ४० माहवार

हुक्म हुआ"

एक नकल रोबकार हाजा बगरज इत्तला व तामील बखिदमत राजा साहिब बशहर इरसाल होवे ३१ ७/६९

दस्तखत
"मेरी डथ"

dated the 24 Ultimo.

(Sd): J. W. S. Wyllie
Under Secy: to Govt of India

Copy of No 90 of London 24 May 1867 to His Ecy: the Right Honble the Governor General of India in Council

Sir,

Para: 1
I have considered in Council the letter of your Ecy:'s Government in the Foreign Department, of 23d Feby: (No 37) 1867 in which you report a proposal to grant on certain conditions, the Pergunnah of Bussye Bucker-too, in the present district of Kangra to the Rajah of Belaspore

2. The proposal of the Government of the Punjaub was, that the Rajah should pay a sum equivalent to the annual revenue of the Pergunnah as Nuzzer-annah. You prefer offering to the Rajah the option of purchasing the district at the cost of an amount of 4 per Cent Govt stock producing a sum equivalent to its annual revenue. And you have properly made the consent of the principal landholders indispensable to the actual transfer.

3. Her Majesty's Govt: after full considera-tion prefer the arrangement by which, as stated in your 6 paragraph, you would "cede" his ancestral perguna to the Rajah, on payment by him of a Nuzzerana equiva-lent to its annual revenue, and authorize the transaction in this form to be carried into "effect".

I have &c

(Sd): Stafford Northcote

True Copies

[illegible]

Copy

STAMP OFFICE
EIGHT ANNAS

Copy of a letter from Thos. H. Thornton Esquire Secretary to the Government Punjab to Coll: R. G. Taylor C.B. C.S.I. Commissioner Umballah Division dated 10 July 1867.

Sir,

I am directed to forward copy of a letter from the Supreme Government No. 635 of 27 ultimo and its enclosure and to request that you will communicate its purport to the Rajah of Kahloor, and direct him to send an Agent to the Commissioner of Jullunder at Dhurmsallah to negociate the transfer of the Pergunnah of Bussye Buchertoo.

Sd: T.H. Thornton
Secy: to Govt: Punjab

Copy of No. 635 of 27 June 1867 from the Under Secretary to the Government of India, to the Secretary to Government Punjab and its Dependencies

Sir,

With reference to the Correspondence noted in the margin relative to the restoration of Pergunnah Bussye Buchertoo to the Rajah of Belaspur I am directed to forward for the information and guidance of the Lieutenant Governor the enclosed copy of a despatch from Her Majesty Secretary of State for India No. 90 dated

× To you No. 781 of 11 Sep: 1865
From you " 431 of 8 Oct: 1866